कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/2a दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2025–26

जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

1.	योजना का नाम	जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।_
2.	योजना का उद्देश्य	राजस्थान के राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा में नियमित अध्ययन के लिए एवं अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना।
3.	आवेदन की प्रक्रिया	➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है। ➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 11 वीं व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा। ➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। ➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें। ➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है – ○ विद्यार्थी का पता ○ विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या ○ विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय ➢ बैंक इनफार्मेशन। ➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्च्यात अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें। ➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें। ➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे। ➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें। ➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा।
4	देय लाभ	जनजाति छात्राएं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु 350/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500/– रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया

RajKaj Ref No.:
16679675

eSign DSC

		जायेगा।
5.	पात्रता	• छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो। • छात्रा राजकीय विद्यालय में 11वीं व 12 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। • छात्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित हो। • छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो। • जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
6.	आवश्यक दस्तावेज	1. जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 2. माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकर दाता नही होने बाबत स्वंय का आय घोषणा पत्र। 3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
7	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

.